मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. 1724-दस- 66 दिनांक 14-2-1966 (म. प्र. राजपत्र, (असाधारण) दि. 14-2-66 पृष्ठ 499-527) मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्र. 29, वर्ष 1964) की उपधारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम जो कि उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, बनाता है, अर्थात् :-

नियम

नियम 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ- ये नियम **मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966** कहलावेंगे।

नियम 2. परिभाषायें - उन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

2-(1) "अधिनियम" से तात्पर्य मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 है;

2-(2) "सभापति" से तात्पर्य समिति के ऐसे सदस्य से है जो धारा 6 के अधीन समिति का गठन करने वाली अधिसूचना द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया हो;

2-(3) "संयोजक" से तात्पर्य समिति किसी ऐसे सदस्य से है जो कि धारा 6 के अधीन समिति का गठन करने वाली अधिसूचना द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया हो;

2-(4) "खण्डीय वन पदाधिकारी" से तात्पर्य उस वन पदाधिकारी से है जो वन खण्ड का प्रभारी हो। (वन मण्डलाधिकारी);

2-(5) "तेन्दू पत्तों का निर्यातक" (Exporter of Tendu Leaves) से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पक्ष से है, जो स्वयं के उपयोग के लिये मध्यप्रदेश से बाहर तेन्दू पत्तों का निर्यात करता हो, अथवा प्रदेश के बाहर किसी स्थान पर तेन्दू पत्ते का व्यापार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या पक्ष को तेन्दू पत्ता बेचता हो;

2-(6) "प्ररूप" (Form) से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्ररूप से है;

2-(7) "क्रेता" (Purchaser) से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पक्ष से है, जिसे ऐसी रीति में, जिसका कि राज्य शासन धारा 12 के अधीन निर्देश दे, तेन्दू पत्ते बेचे गये हों;

2-(8) "धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

2-(9) "मानक बोरा" (Standard bag) से तात्पर्य ऐसे बोरे से जिसमें पत्तों की 1000 मानक गड्डियां हों, और जहां मानक गड्डियाँ बोरे में भरी जाती हों, वहाँ मानक बोरा के संदर्भ में 1000 गड्डियाँ सन्दर्भ के रूप में लगाया जायेगा;

2-(10) "मानक गड्डी" से तात्पर्य ऐसी गड्डी से है जिसमें 50 तेन्दू पत्ते हों;

2-(11) "परिवहन अनुज्ञा पत्र" से तात्पर्य तेन्दू पत्तों के परिवहन के लिये धारा 5 की उपधारा (2) खण्ड (ख) के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा पत्र से है;

2-(12) उन समस्त अन्य शब्दों एवं अभिव्यक्तियों (Expressions) का जो इन नियमों में प्रयोग में लाई गई हों किन्तु उसमें परिभाषित न की गई हों, क्रमशः वही तात्पर्य होगा जो कि उनके लिये अधिनियम में दिया हो।

[1]**नियम 3. अभिकर्त्ता की नियुक्ति-** विलोपित [1][M.P. Law Times 1989 Part II P-3]

नियम 4. परिवहन अनुज्ञा पत्र (Transport Permit) निम्नलिखित चार प्रकार के होंगे और उनके प्रत्येक के सामने वर्णित अधिकारियों द्वारा और/या व्यक्तियों द्वारा जारी किये जाएँगे :-

1. म.प्र. शासन, वन विभाग अधि. क्र. 18-2-88-X-III दि. 29-11-88 (म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30-11-88 पृष्ठ 2371) के द्वारा नियम 3 तथा फार्म क, ख, ग (A, B, C) विलोपित

ट्रान्सपोर्ट परमिट के प्रकार (Type)	परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी
(1)	(2)
(I) तेन्दू पत्ते के संग्रह केन्द्र (फड़) से गोदामों में परिवहन के लिये-	
(A) मुख्य अनुज्ञा पत्र/फॉर्म -टी. पी. I (मुख्य)	(A) डिवीजनल फारेस्ट ऑफीसर या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी,
(B) सहायक अनुज्ञा पत्र (फॉर्म टी.पी. I सहायक) (Subsidiary) (मुख्य अनुज्ञा-पत्र में दर्शाई मात्रा तक)	(B) डिवीजनल फारेस्ट आफीसर और/या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या व्यक्ति
II. एक संग्रहागार से दूसरे संग्रहागार तथा/ अथवा वितरण केन्द्रों तक परिवहन हेतुः (प.अ.) फार्म (T.P.2)	II डिवीजनल फारेस्ट आफीसर और/या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या व्यक्ति (विनिर्दिष्ट मात्रा तथा अवधि तक)
*III. वितरण केन्द्रों के सट्टेदारों या मजदूरों तक परिवहन के लिये - (फार्म T.P.-3)	III डिवीजनल फारेस्ट आफीसर या कोई व्यक्ति डिवीजनल फारेस्ट आफीसर द्वारा लिखित में प्राधिकृत (प्रत्येक कन्साइनमेन्ट में परिवहन की जाने वाली अधिकतम मात्रा विनिर्दिष्ट करते हुए)
IV. राज्य के बाहर परिवहन के लिये:-	
*IV (a) मुख्य परमिट - फार्म टी.पी. 4 (मुख्य - Main)	IV(a) डिवीजनल फारेस्ट आफीसर या कोई अन्य अधिकारी लिखित में डिवीजनल फारेस्ट आफीसर द्वारा प्राधिकृत,
(b) सहायक परमिट फार्म टी पी. -4 (Subsidiary) [अधिसूचना क्र. 18-1-91-X-III efo. 13 जनवरी 1992 (म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 15-1-92 पृष्ठ 51)]	(b) डिवीजनल फारेस्ट आफीसर या कोई अधिकारी या व्यक्ति-लिखित में D.F.O. द्वारा प्राधिकृत।

(IV (a) द्वारा प्रतिस्थापित। (म. प्र. लॉ. टा. 1992 पार्ट II P. 83/84 सीरियल नं. 42)

परन्तु खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उनके द्वारा परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने के लिये प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति योग्य नहीं है, तो वह ऐसा अधिकार तुरन्त रद्द कर देगा।

4. (2) ऊपर बताये गये किसी भी प्रकार के परिवहन अनुज्ञा पत्र को जारी करने के लिये आवेदन पत्र प्ररूप 'घ' में होगा और खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) को प्रस्तुत किया जायेगा जो कि अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करेगा अथवा अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये किसी अन्य अधिकारी

* अधिसूचना क्र. 18-1-73-X-3-(i) (म.प्र. राजपत्र (असाधारण) 5-9-1975 पृ. 2008-2009 द्वारा संशोधित

R-3 (10)(i)(iii)(iv)- तेन्दू पत्ते की नीलामी में बोली लगाने वाले ने नीलामी की रकम जमा नहीं की, पुनर्विक्रय में कमी आने पर अन्तर की रकम धारा 155 (b) MPLRC 1959 के अधीन वसूली योग्य नहीं है- **(सुमतिचंद विनोदीलाल (फर्म) वि. स्टेट म.प्र.** - 1995 RN 46 H.C.)

या व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा :

परन्तु खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि पत्ते, जिसके सम्बन्ध में आवेदन दिया गया है, शासन द्वारा अथवा उसके पदाधिकारी अथवा अभिकर्ता से क्रय नहीं किये गये हैं तो आवेदनकर्ता को परिस्थितियों के अनुसार, जैसा उचित हो, सुनवाई का अवसर देते हुए, लिखित में आदेश देकर ऐसे आवेदन पत्र को ऐसी अस्वीकृति का कारण दर्शाते हुए अस्वीकृत कर सकेगा।

नियम 4. (3) समस्त प्रकार के परिवहन अनुज्ञा पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :-

(क) तेन्दू पत्तों के प्रत्येक प्रेषित माल (Consignment) के सड़क, रेल, जल तथा हवाई, किसी भी परिवहन साधन में ले जाते समय, सम्बन्धित प्रकार का परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके साथ होगा।

(ख) पत्तों का परिवहन केवल उस मार्ग द्वारा ही किया जायेगा, जो कि अनुज्ञा-पत्र में उल्लिखित हो और जाँच पड़ताल के लिये उन्हें ऐसे स्थान या स्थानों पर पेश किया जायेगा जो कि उसमें उल्लिखित किये जायें।

(ग) खण्डीय वन पदाधिकारी या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये पदाधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय परिवहन नहीं किया जायेगा।

(घ) अनुज्ञा-पत्र ऐसी कालावधि के लिये मान्य होगा जो कि उसमें उल्लिखित की जाये।

(ङ) परिवहन अनुज्ञा-पत्र, खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) द्वारा रद्द किये जाने के योग्य होगा, यदि यह विश्वास करने का कारण है, कि उसका दुरुपयोग किया गया है या दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है।

(च) समस्त परिवहन अनुज्ञा-पत्र, तेन्दू पत्तों के परिवहन के पश्चात् अथवा उसमें दर्शाई कालावधि व्यतीत होने के पश्चात्, जो भी पूर्ववर्ती हो, समीपस्थ खंडीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) अथवा परिक्षेत्र अधिकारी (Range Officer) को, एक पखवाड़े के भीतर वापस कर दिये जायेंगे।

नियम 5. मंत्रणा सलाहकार समिति के कार्य संचालन की प्रक्रिया- (1) राज्य शासन अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राजस्व आयुक्त के सम्भाग के लिये, उक्त धारा के अधीन गठित मंत्रणा समिति के सदस्यों के नाम, एक सदस्य को सभापति व दूसरे को संयोजक नियुक्त करते हुए प्रकाशित करेगा।

5.(2) मंत्रणा समिति (Advisory Committee) उस सम्भाग के राजस्व आयुक्त के मुख्यालय में अपना अधिवेशन करेगी, जिसके लिये वह गठित की गई है।

5.(3) समिति के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता सभापति द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में संयोजक द्वारा की जायेगी। यदि सभापति एवं संयोजक दोनों ही अनुपस्थित हों, तो उपस्थित सदस्यगण किसी एक उपस्थित सदस्य को सभापति चुनकर अधिवेशन करेंगे।

5.(4) समिति का संयोजक, अधिवेशन के दिनांक, समय और स्थान को निश्चित करेगा और समिति के सदस्यों द्वारा सूचना प्राप्त होने की अभीस्वीकृति अभिलेख में रखी जायेगी।

5.(5) समिति के चार सदस्यों से गणपूर्ति (quorum) होगी।

5.(6) समिति का कार्य विवरण देवनागरी लिपी में लिखित हिन्दी में इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि जिससे उसे उचित तथा युक्तियुक्त मूल्य के सम्बन्ध में, जिस पर कि राज्य शासन को छोड़कर अन्य उगाने वालों से तेन्दू पत्ते क्रय किये जा सकेंगे, समिति की सिफारिशें तथा ऐसे मामलों पर जो कि राज्य शासन द्वारा उनको निर्दिष्ट किये जायें, उसकी सलाह भी स्पष्ट रूप से प्रगट हो जायें।

5.(7) बैठक की कार्यवाही अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा अनुमोदित की

जायेंगी, और उसका अनुमोदन, समिति की सिफारिशों की प्रामाणिकता (Authenticity) का अन्तिम प्रमाण माना जायेगा।

5.(8) समिति की सलाह, राज्य शासन को अधिवेशन की कार्यवाही के द्वारा संसूचित की जायेगी जो उस प्रकार भेजी जायेगी कि वह सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को, 15 दिसम्बर तक, या ऐसे पूर्वतर दिनांक तक, जिसे कि शासन किसी विशिष्ट वर्ष के लिए नियुक्त करे, पहुँच सके। तथापि राज्य शासन, किसी विशेष मामले में किसी समिति को धारा 7 के उपबन्धों के अनुसार, अतिरिक्त समय अनुज्ञात कर सकेगा किन्तु इस हेतु (अतिरिक्त-समय के लिये) समिति की ओर से, संयोजक द्वारा, प्रार्थना-पत्र, पर्याप्त समय पूर्व शासन को प्रस्तुत करना चाहिये।

5.(9) धारा 7 के अधीन निश्चित मूल्य हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में ही राजपत्र में तथा यदि आवश्यक समझा जाये तो सम्बन्धित आयुक्त सम्भागों में परिचालित, ऐसे समाचार-पत्रों जिन्हें सम्बन्धित वन संरक्षक, निश्चित करे, प्रकाशित किये जायेंगे।

5.(10)(i) समिति के उन अशासकीय सदस्यों को छोड़कर जो कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य हों, अन्य सदस्यों को ऐसे यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करन के हकदार होंगे, जो कि राज्य शासन के प्रथम ग्रेड (First Grade) पदाधिकारियों के लिये होते हैं।

नियम 5.(10)(ii) यात्रा भत्ते के बिल संयोजक को प्रस्तुत किये जायेंगे जो उनका सूक्ष्म परीक्षण (छानबीन) कर प्रति-हस्ताक्षरित करेगा तथा उन भत्तों को संवितरित करेगा।

नियम 6. उगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण - 6. (1) राज्य शासन को छोड़कर तेन्दू पत्तों का प्रत्येक उगाने वाला, यदि यह सम्भावना हो कि वर्ष के दौरान उसके द्वारा उगाये गये पत्तों का परिमाण एक मानक बोरे से अधिक हो जायेगा, स्वयं को धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करा लेगा।

6.(2) उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन प्ररूप (ङ) में होगा तथा उस परिक्षेत्र अधिकारी (Range Officer) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर उगाने वाले की भूमि स्थित हो जिस पर तेन्दू पत्ता उगते हों। परिक्षेत्र अधिकारी, सम्यक् सत्यापन के पश्चात् आवेदन पत्र उसकी प्राप्ति के तीस दिवस के अन्दर खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) को अग्रेषित करेगा जो ऐसी जाँच के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, प्ररूप 'च' में प्रमाण-पत्र देगा या आवेदन पत्र को उसके लिये कारण लिखकर नामन्जूर करेगा।

6.(3) एक बार जारी किया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र उस समय तक वैध रहेगा, जब तक कि खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) द्वारा लिखित में कारण बताते हुए उसे रद्द अथवा संशोधित नहीं किया जाता, अथवा जब तक आवेदक के पास ऐसी भूमि है, जिसके लिये कि प्रमाण-पत्र लिया गया है, जो भी पूर्ववर्ती हो।

6.(4) यदि प्रमाण-पत्र गुम हो जाता है, अथवा विकृत हो जाता है, तो प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिये एक रुपये की देनगी पर, उसकी प्रामाणिक प्रतिलिपि खण्डीय वन पदाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

6.(5) उपरोक्त प्रमाण-पत्र विक्रय के लिये, तेन्दू पत्तों का परिदान किये जाते समय संग्रहण केन्द्र (फड़) प्रस्तुत किया जायेगा, और उगाने वालों के पत्तों के क्रय के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, उसके द्वारा क्रय की गई मात्रा को लेखबद्ध करेगा।

6.(6) यदि शासन द्वारा अपेक्षित किया जाये तो, तेन्दू पत्तों को उगाने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रधारी प्रत्येक वर्ष की 15 जुलाई को खण्डीय वन पदाधिकारी (Divisional Forest Officer) या उससे वरिष्ठ किसी अन्य वन पदाधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में, 30 जून को समाप्त होने वाले वर्ष में उसके द्वारा एकत्रित एवं निवर्तित किये गये तेन्दू पत्तों का मानक बोरों में लेखा प्रस्तुत करेगा। उपरोक्त लेखाओं को उल्लिखित दिनांक तक प्रस्तुत न करने पर समझा जायेगा कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द हो गया है।

7. अस्वीकृत तेन्दू पत्तों के बारे में जाँच की प्रक्रिया - (1) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर जाँच करने वाला अधिकारी यथा-सम्भव शीघ्र सम्बन्धित पक्ष या पक्षों को जाँच

करने के लिये नियत स्थान, दिनांक तथा समय सूचित करेगा।

7.(2) नियत दिनांक पर, या किसी ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक पर, जिस पर कि स्थगित जाँच की जावे, ऐसा पदाधिकारी, उन पक्षों को या उनके द्वारा सम्यक्रूपेण प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधियों की, जो कि उसके सामने उपस्थित (Appear) हों, सुनवाई पश्चात् तथा ऐसी जाँच के पश्चात् जिसे कि वह आवश्यक समझे, धारा 9 की उपधारा (3) या (4) के अनुसार ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

7.(3) यदि पक्ष, या अनेक पक्ष जैसी भी स्थिति हो, या तो स्वयं या अपने सम्यक्रूपेण प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित न हो, तो जाँच अधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, एकपक्षीय विनिश्चय करेगाः

परन्तु जाँच अधिकारी का यह समाधान हो जावे कि पक्ष या पक्षों के उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण था, तो वह ऐसी जाँच और करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, एक पक्षीय आदेश को निष्प्रभाव अतिष्ठित करते हुये यथोचित आदेश पारित कर सकेगा।

7.(4) यदि कोई प्रतिकर (Compensation) जिसके कि भुगतान किये जाने का आदेश जाँच के परिणामस्वरूप दिया गया हो, या कोई भी संग्रहण व्यय, जिनके कि धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन भुगतान किये जाने के लिये इस प्रकार आदेश दिया गया हो, सम्बन्धित पक्ष को आदेशों के संसूचित किये जाने से एक मास के भीतर भुगतान किये जायेंगे।

***8. बीड़ी विनिर्माताओं अथवा/और तेन्दूपत्तों के निर्यातक का रजिस्ट्रीकरण** :- **[(1) बीड़ियों का निर्माता और/या तेंदू पत्तों का निर्यातक वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस रु. 500.00 का भुगतान करने के पश्चात् एक वर्ष की कालावधि के लिये रजिस्ट्रीकरण करा सकेगा। ऐसा रजिस्ट्रीकरण एक बार रजिस्ट्रीकरण फीस रुपये 2500.00 का भुगतान करने के पश्चात् 5 वर्ष के लिये तथा रजिस्ट्रीकरण फीस रु. 5000.00 का भुगतान करने के पश्चात् 10 वर्ष के लिये भी किया जा सकेगा।]

(2) धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन फार्म "जी" में होगा तथा उस डिवीजनल फारेस्ट आफीसर के समक्ष पेश किया जायेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर बीड़ी निर्माता और/या तेंदू पत्ते का निर्यातक रहता हो या उसका कारोबार का मुख्य स्थान अवस्थित हो। यदि निर्माता या निर्यातक राज्य के बाहर रहता हो वह राज्य के भीतर किसी भी डिवीजनल फारेस्ट आफीसर को आवेदन पेश कर सकता है। आवेदक उस कैलेण्डर वर्ष/वर्षों का उल्लेख करेगा जिसके लिये रजिस्ट्रेशन अपेक्षित है। रजिस्ट्रेशन फीस अग्रिम जमा की जायगी और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की रसीद, रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी। डिवीजनल फारेस्ट आफीसर ऐसी जांच के पश्चात् जैसा वह उचित समझे-फार्म एच (H) में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मंजूर कर सकेगा या कारण उसके लिये अभिलिखित करने के पश्चात् आवेदन नामंजूर कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रेशन उतने वर्षों के लिये वैध रहेगा जितने वर्षों की अवधि के लिये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

***8.(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत बीड़ी निर्माता और/या तेंदू पत्तों का निर्यातक फार्म (1) में तेन्दू पत्तों का लेखाओं का रजिस्टर रखेगा और फारेस्ट रेंजर से अनिम्न वन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण हेतु उसको पेश करेगा। वह फार्म (J) में क्वार्टरली (तिमाही) विवरणी स्टाक के बारे में 31 मार्च, 30 जून तथा 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति तक D.F.O. को पेश करेगा।

8.5 खण्डीय वन पदाधिकारी द्वारा उप-नियम (1) के अधीन मन्जूर किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रत्येक बीड़ी निर्माता तथा/या तेन्दू पत्ता निर्यातक प्ररूप (K) = (ढ) में एक घोषणा 31 मार्च तक या ऐसे अन्य दिनांक तक जो कि शासन द्वारा उल्लिखित किया जावेगा प्रस्तुत करेगा।

---

* [अधिसूचना क्र. F-26-4-94-X-3 दि. 24 अगस्त, 1996- म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 26-8-1996 Page 762 पर प्रकाशित। [अंक अक्टूबर 1996-म.प्र. लॉ टाइम्स 1996, पार्ट II पृ. 264 (सीरियल नं. 150)]

** म.प्र. शासन, अधिसूचना क्र. एफ. 26-4-2004-दस-3 दिनांक 31-1-2007 द्वारा प्रतिस्थापित। पूर्व में यह निम्नानुसार था– "(1) बीड़ी निर्माता और/या तेंदू पत्ते का निर्यातक, रजिस्ट्रेशन फी @ रुपया वार्षिक 100 Rs. जमा करने के पश्चात् अधिकतम पांच साल की अवधि के लिये किन्तु एक वर्ष से कम अवधि के लिये नहीं-रजिस्टर किये जायेंगे।"

*** [म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 7-10-93 पृ. 673 (M.P. Law Times 1993 Part II P. 90]

8.(6) यदि प्रमाण-पत्र गुम हो जावे या विकृत हो जावे, तो ऐसे प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि खण्डीय वन अधिकारी के द्वारा प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिये पाँच रुपये का भुगातन करने पर प्राप्त हो सकेगी।

8.(7) ऐसे बीड़ियों के निर्माता या/और तेन्दू पत्तों का निर्यातक का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जिसने कि अधिनियम, इन नियमों, या राज्य शासन के साथ किये गये करार की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया हो, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत दण्डित किया हो तो या उसके करारनामे को समाप्त कर दिया गया हो, वन संरक्षक द्वारा रद्द किया जाने योग्य होगा और ऐसे बीड़ी निर्माता या/और तेन्दू पत्ता निर्यातक का रजिस्ट्रीकरण ऐसी कालावधि के लिये, जो कि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, अस्वीकृत किया जा सकेगा :

परन्तु यदि बीड़ियों का निर्माता या/और तेन्दू पत्तों का निर्यातक उपरोक्त आदेश से असन्तुष्ट है, तो वह राज्य शासन को अपील कर सकेगा।

नियम 9. बिक्री प्रमाण-पत्र- शासन या उसका पदाधिकारी या अभिकर्ता, जो क्रेता के पत्तों का विक्रय या परिदान करता हो, उसे प्ररूप 'ठ' में विक्रय प्रमाण-पत्र मन्जूर करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 12 के अधीन शासन से पत्तों का क्रय करने का दावा करे, यह अपेक्षा की जायेगी कि वह अपने दावे के समर्थन में विक्रय प्रमाण-पत्र पेश करे, जिसके पेश न करने पर दावा प्रतिग्रहीत नहीं किया जायेगा।

नियम 10. निरसन- मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता मंत्रणा समिति तथा मूल्य प्रकाशन नियम, 1964 और मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1965 एतद्द्वारा निरस्त की जाती है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमावलियों के अधीन की गई कोई भी बात या कार्यवाही जहाँ तक कि वह इन नियमों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जावेगी।

प्ररूप "घ"

(FORM-D)

[नियम 4 (2) देखिये]

परिवहन अनुज्ञा-पत्र की मन्जूरी के लिये आवेदन-पत्र

(क) आवेदक का नाम .....

(ख) क्रय किये गये तेन्दू पत्तों का परिमाण .....

(1) .....वास्तविक बोरे

(2) .....मानक बोरे

(ग) वन खण्ड तथा इकाई, जिसमें पत्ते क्रय किये हों .....

(घ) वह स्थान या वे स्थान जहाँ पत्ते संग्रहीत .....
किये गये हों। यदि एक से अधिक स्थान पर.....हो तो
प्रत्येक स्थान पर संग्रहित परिमाण का.....उल्लेख .....

(ङ) अपेक्षित प्रकार के अनुज्ञा-पत्र का उल्लेख .....

[(च) (1) पूर्व में परिवहन किया गया परिमाण.....
वास्तविक बोरे .....मानक बोरे.....
अनुज्ञा पत्रों के ब्यौरे.....

(2) परिमाण जिसके लिये अनुज्ञा-पत्र अपेक्षित है .....
मा. बो.....वास्तविक बोरे

(3) परिवहन के लिये शेष परिमाण.....मा. बो.....
स्थान.....मा.बो.....

(छ) अवधि जिसके लिये अनुज्ञा-पत्र मान्य होना अपेक्षित है .....

(ज) गंतव्य स्थान जहाँ से और तक पत्तों का.....से
से परिवहन किया जाना है.....तक

(झ) परिवहन का साधन .....

(ञ) मार्ग जिनके द्वारा पत्तों का परिवहन किया जाना है .....

(त) वे स्थान जहाँ पत्ते जाँच-पड़ताल हेतु ..... प्रस्तुत किये जायेंगे।

(थ) वह स्थान या वे स्थान जहाँ परिवहन ..... किये गये पत्ते संग्रहीत किये जावेंगे

(विक्रय प्रमाण-पत्र संलग्न है)

स्थान.....

दिनांक..... .....

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी D = (घ) के मद 'च' सूचना क्रमांक 18-1-73 दस - 3-(1) दिनांक 5-9-75 राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 191 पृष्ठ, से संशोधित।

परिवहन अनुज्ञा-पत्र 1 (मुख्य)

(MAIN)

[देखिये नियम 4]

पुस्तिका क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक ..... मूल

(संग्रहागार डिपो से संग्रहण गोदाम को)

श्री/मेसर्स ..... वन खण्ड ..... की इकाई क्रमांक ..... के क्रेता ने करार के खण्ड ..... के अनुसार ..... मानक बोरों का क्रय का मूल्य रु. ..... पूर्णतः/अंशतः चुकता किये हैं। तदनुरूप उन्हें ..... वास्तविक बोरों में बन्द ..... मानक बोरों के ..... संग्रहण डिपो (फड़) से (संग्रहण गोदाम) तक परिवहन करने की आज्ञा दी जाती है।

(2) .....तक अनुज्ञा-पत्र वैध है। उपरोक्त पत्तों का परिवहन निम्नांकित मार्गों से किया जायेगा। ..... और जाँच पड़ताल एवं परिवीक्षा के लिये निम्नांकित स्थानों पर प्रस्तुत किया जायेगा:- .....

(3) उस परिवहन अनुज्ञा-पत्र (सहायक) का विवरण जिसके उपयोग करने की अनुमति दी गई..... पुस्तक क्रमांक ..... के पृष्ठ क्रमांक ..... से .....तक दिनांक ..... तक जारी करने के लिये वैध है।

परिवहन अनुज्ञा-पत्र 1 (सहायक) (Subsidiary)

[देखिये नियम 4]

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

(1) क्रेता का नाम

(2) इकाई क्रमांक ..... वन खण्ड .....

(3) परिवहन अनुज्ञा-पत्र 1 (मुख्य) का सन्दर्भ–

(1) पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

(2) अनुज्ञप्ति : मात्रा..... मानक बोरे / वास्तविक बोरे

(3) दिनांक.....तक वैध है।

(4) इस पृष्ठ के प्रसारित होने के पूर्व ही उपरोक्त . . . . . .
अधिकारी के अन्तर्गत परिवहन की गई मात्रा . . . . . .

(5) उस पृष्ठ के साथ अब परिवहन.....
की जा रही मात्रा ..... मानक बोरे / वास्तविक बोरे
प्रत्येक बोरे का अनुक्रमांक तथा मात्रा का उल्लेख करें।

(6) ..... से..... तक

(7) परिवहन मार्ग .....

(8) जाँच पड़ताल के स्थान.....

(9) दिनांक ..... तक अनुज्ञा पत्र वैध है।
स्थान ..... जारी करने वाले के हस्ताक्षर
दिनांक .....समय..... जाँच की गई।

दिनांक.....

.....
जाँच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नोट- जब तक वन मण्डलाधिकारी द्वारा लिखित में या अन्यथा उल्लिखित न हो, समयावधि 48 घन्टे से अधिक न होगी।

परिवहन अनुज्ञा-पत्र - 2

(Transport Permit-2)

[नियम 4 देखें]

पुस्तक क्रमांक..... पृष्ठ क्रमांक .....

एक संग्रहण गोदाम से किसी दूसरे अथवा वितरण केन्द्र के निमित्त

(1) क्रेता का नाम.....

(2) इकाई क्रमांक ..... खण्ड.....

(3) खण्डीय वन पदाधिकारी के अधिकार का सन्दर्भ.....
क्रमांक..... दिनांक .....

(4) परिमाण तथा अवधि जिसके लिये उपरोक्त 3 के अन्तर्गत अधिकार प्रसारित किया गया है। मानक बोरे / वास्तविक बोरे

(5) उपरोक्त अधिकार के अन्तर्गत पूर्व में परिवहन की गई मात्रा। मानक बोरे / वास्तविक बोरे

(6) इस अनुज्ञा-पत्र के साथ परिवहन की जा रही मात्रा। मानक बोरे / वास्तविक बोरे
(बोरों का अनुक्रमांक तथा मात्रा दें)

(7) ..... से ..... तक

(8) परिवहन का मार्ग.....

(9) जाँच-पड़ताल के स्थान/स्थानों के नाम.....

(10) अवधि ..... तक यह अनुज्ञापत्र-पत्र वैध है।
स्थान ..... जारी करने वाले के हस्ताक्षर
दिनांक ..... समय .....
जाँच किया-

.....
जाँच करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर/दिनांक

नोट- जब तक वन मण्डलाधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत न किया जावे, कालावधि 48 घंटे से अधिक न होगी।

परिवहन अनुज्ञा-पत्र 3

(Transport permit-3)

[देखिये नियम 4]

सट्टेदारों अथवा मजदूरों में वितरण हेतु

(1) क्रेता का नाम .....
(2) इकाई क्रमांक..... वन खण्ड .....
(3) संग्रहण डिपो जहाँ से पत्ते दिये गये हैं .....
(4) उस व्यक्ति का नाम जिसे पत्ते दिये गये हैं.....
(5) स्थान जहाँ परिवहन किये जा रहे हैं .....
(6) मात्रा.....
(7) समयावधि जिसमें पत्तों की खपत होगी .....
स्थान.....
दिनांक .....समय.....

.....
जारी करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर/दिनांक

नोट- पत्तों के परिवहन करने के लिये पास जारी होने के 24 घन्टों तक की अवधि मान्य होगी।

परिवहन अनुज्ञा-पत्र 4 (मुख्य) (MAIN)

(Transport Permit)

[नियम 4 देखिये]

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ .....

मध्यप्रदेश के बाहर परिवहन के लिये

(1) श्री/मेसर्स ..... क्रेता, इकाई नं. .....
वन मण्डल ..... को ..... मानक बोरे जो .....
वास्तविक बोरों में रखे हैं, को ..... से ..... तक सड़क द्वारा,
पश्चात् ..... तक रेल द्वारा परिवहन की अनुमति दी जाती है।

(2) मध्यप्रदेश के बाहर प्राप्तकर्ता
का नाम व पता

(3) यह अनुज्ञा-पत्र दिनांक ..... तक वैध है।
स्थान ..... वन मण्डलाधिकारी
दिनांक ..... वन मण्डल

परिवहन अनुज्ञा-पत्र-4
(सहायक) (Subsidiary)

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

(1) क्रेता का नाम

(2) इकाई क्रमांक..... वन मण्डल

(3) परिवहन अनुज्ञा पत्र 4 (मुख्य) का सन्दर्भ –

(i) पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक

(ii) (Permitted Quantity) अनुज्ञात मात्रा (Standard bags/मानक बोरे) / (Actual bags/वास्तविक बोरे)

(iii) अवधि (Valid upto)..... तक वैध है।

(4) इस पृष्ठ के प्रसारित होने के पूर्व उपरोक्त अधिकार के अन्तर्गत परिवहन की गई मात्रा :–

(i) अनुज्ञा-पत्र 4 (सहायक) के ब्यौरे :

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....दिनांक .....

(ii) मात्रा ..... मानक बोरे ..... वास्तविक बोरे

(5) इस अनुज्ञा-पत्र के साथ परिवहन की जा रही मात्रा (बोरे का क्र. तथा मात्रा दर्शावें)।

..... मानक बोरे / वास्तविक बोरे

(6) परिवहन हेतु शेष मात्रा ..... मानक बोरे / वास्तविक बोरे

(7) .....से..... तक

(8) परिवहन मार्ग

(9) जाँच पड़ताल का स्थान

(10) दिनांक ..... तक अनुज्ञा-पत्र वैध है।

स्थान .....

दिनांक ..... समय .....

.....

जारी करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर

जाँच की गई .....

स्थान .....

दिनांक ..... समय .....

.....

जारी करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर

नोट- जब तक वन मण्डलाधिकारी द्वारा लिखित में या अन्यथा प्राधिकृत न किये जावे अवधि 48 घन्टे से अधिक नहीं होगी।

प्ररूप ङ

(FORM-E)

[नियम 6 (2) देखिये]

नियम 10 के अधीन उगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पत्र

(क) आवेदक का नाम, पिता का नाम तथा पता .....

(ख) उन भूखण्डों की स्थिति क्षेत्रफल, खसरा नं..... जिन पर तेन्दू पत्ते उगाये जाते हैं

(ग) भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में विशिष्टियाँ .....

(घ) प्रत्येक भूखण्ड में विद्यमान तेन्दू की ..... झाड़ियों की संख्या

(ङ) क्या वे पत्ते वाणिज्यिक फसल के ..... रूप में उगा रहा है। यदि ऐसा है तो उसने कोई काट-छाँट की है, तथा गत तीन वर्षों में क्या खर्च हुआ प्रत्येक वर्ष के खर्च का ब्यौरा दिया जावे

(च) पत्तों का अनुमानित उत्पादन .....

(छ) गत तीन वर्षों में कितना पत्ता ..... संग्रहीत किया गया। प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में उत्पादन का विवरण दिया जावे

(ज) गत दो वर्षों का तुड़ाई के मौसम में ..... अर्थात् वर्ष ..... एवं ..... में पत्ते किसको तथा कितनी रकम में बेचे गये

(झ) वह स्थान या/वे स्थान जहाँ तेन्दू पत्ता परिदान होने तक संग्रहीत किये जावेंगे .....

स्थान.....

दिनांक.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप च

(FORM-F)

उगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

[नियम 6 (2) देखिये]

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... आत्मज..... ग्राम.....थाना.....तहसील..... जिला..... वन खण्ड.....की इकाई क्रमांक ..... में स्थित, को .....

मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 10 के प्रयोजन के लिये तेन्दू पत्ता उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। उनके निम्नलिखित खातों में बीड़ी निर्माण

योग्य तेन्दू पत्तों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन .....मानक बोरा है।

संग्रहण केन्द्र के स्थान निम्न होंगे :-

(1) .....

(2) .....

(3) .....

खातों का विवरण-

.....

.....

.....

वन मण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर

वन मण्डल

दिनांक .....

प्ररूप छ

FORM - G

[नियम 8 (2) देखिये]

धारा 11 के अन्तर्गत बीड़ियों के निर्माता तथा तेन्दू पत्तों के निर्याता के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन -पत्र

(1) आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता। यदि वह रजिस्ट्रीकृत फर्म या कम्पनी हो तो, रजिस्ट्रीकरण का क्रमांक, तथा वर्ष/ मुख्तारनामा धारण करना वाले व्यक्ति का नाम व पता मुख्तारनामे की प्रति संलग्न की जावे.....

(2) कारबार का/के स्थान, प्रधान कार्यालय या मुख्यालय का स्थान, ग्राम नगर, तहसील, पुलिस-थाना, जिला।

(3) मानक बोरों में तेन्दू पत्तों के व्यापार का विवरण–

(क) प्रतिवर्ष निर्मित बीड़ियों का औसत परिमाण.....

और/या

गत तीन वर्षों में राज्य से बाहर निर्यात किये गये तेन्दू पत्तों का औसत परिमाण तथा गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये पत्तों का परिमाण-

मात्रा (मानक बोरों में)

वर्ष .....

वर्ष .....

वर्ष .....

(ख) निर्माता की दशा में व्यापार चिन्ह (यदि हो)

निर्यातक की दशा में उस स्थान या स्थानों .....

के नाम जहाँ तेन्दू पत्ते निर्यात किये गये

(ग) तेन्दू पत्तों की वार्षिक अनुमानित मात्रा (मानक बोरों) में निम्न प्रयोजनों के लिये:–

प्रयोजन	मात्रा (मानक बोरों में)
(i) बीड़ियों के निर्माण	.....
(ii) निर्यात	.....

(घ) गोदाम/गोदामों के स्थान .....
नाम जहाँ आवेदक के .....
पत्तों का स्टाक संग्रहीत किया जाता है .....
(ङ) रीति, जिसमें कि अपेक्षित स्टाक .....
प्राप्त किया जाता है. .....
(च) केन्द्रीय आबकारी विभाग के अन्तर्गत .....
रजिस्ट्रेशन क्रमांक .....

(4) आवेदक बीड़ियों के निर्माता..... पत्तों के निर्यातक के रूप में ..... कब से तेन्दू पत्तों का व्यापार करता है।

(5) दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम व पते जिनको कि आवेदन पत्रों के सत्यापन के लिये हवाला दिया जा सके।

(1) .....
(2) .....

(6) मानक बोरों में पत्तों का परिमाण जिसके लिये रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है.....

(7) वर्ष जिसके लिये रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है.....

(8) क्या आवेदक पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किया गया था, यदि हां, तो–

वर्ष	वनखण्ड	पत्तों का परिमाण

(9) अन्य कोई जानकारी जो आवेदक ..... देना चाहे, कि वह बीड़ियों का ..... वास्तविक निर्माता तथा/या पत्तों का ..... वास्तविक निर्यातक है। .....

(10) रजिस्ट्रीकरण फीस क्र. ..... की देनगी का प्रमाण-पत्र।

स्थान.....
दिनांक .....

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप 'ज'

(FORM-H)

[नियम 4 (2) देखिये]

बीड़ियों के निर्माता या /और तेन्दू पत्तों के निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/मेसर्स .....
आत्मज.....निवासी (स्थान).....
पुलिस थाना..... तहसील..... जिला.....
को मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियम, 1964 की धारा 11 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजनों के लिए बीड़ियों के निर्माता और/या तेन्दू पत्ता के निर्यातक के रूप में वर्ष..... के लिये रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

बीड़ियों के निर्माण और/या तेन्दू पत्तों के निर्यात के लिये प्रतिवर्ष कारबार किये तेन्दू पत्तों का वार्षिक अनुमान लगभग ..... मानक बोरे हैं और जो निम्नलिखित में से एक या

अधिक या समस्त स्थानों पर संग्रहीत किये जावेंगे :–

(1) .....
(2) .....
(3) .....

कार्यालय की सील

.....
वन मण्डलाधिकारी के
हस्ताक्षर

दिनांक

प्रतिलिपि वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता, भोपाल (म. प्र.) को सूचनार्थ।

.....
वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल

प्ररूप 'झ' (FORM- I)

[नियम 8(4) देखिये]

निर्माता/निर्यातक के तेन्दूपत्तों के लेखाओं का रजिस्टर

गोदाम का नाम.....निर्माता/निर्यातक.....रजिस्ट्रेशन क्र.....

गत विवरण प्रस्तुत करते समय शेष स्टाक मानक बोरों में	स्टाक जो और प्राप्त हुआ (मानक बोरों में)		कालम (3) में तेन्दू पत्तों के अर्जन की रीति (सत्यापित करने योग्य विवरण)	कालम (1) एवं कालम (3) का का योग
	दिनांक	मानक बोरों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

तेन्दू पत्तों के निवर्तन का दिनांक तथा मात्रा		निवर्तन का विवरण (सत्यापनीय ब्यौरे जैसे खर्च हुआ, विक्रय हुआ या अनुपयोगी होने से नष्ट किया)	कालम (7) के पश्चात् तेन्दू पत्तों की मात्रा मानक बोरों में	रिमार्क
दिनांक	मानक बोरों में			
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

.....को समाप्त होने वाली कालावधि के लिये विवरण

निर्माता/निर्यातक के तेन्दू पत्तों का नियतकालिक विवरणी

प्ररूप 'ञ'

[नियम 8 (4) देखिये]

नाम.....रजिस्ट्रीकरण क्र.....

गोदाम का क्रमांक तथा नाम जहाँ स्टाक संग्रहीत किया गया हो	गत विवरणी प्रस्तुत करते समय शेष स्टाक या रजिस्ट्रीकरण के समय हस्तगत स्टाक (मानक बोरों में)	गत विवरणी तथा इस विवरणी के बीच जोड़ा गया स्टाक		
		(मात्रा) मानक बोरों में	प्ररूप 'झ' के रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांकों का संदर्भ	क्रय रसीद आदि जैसे साक्ष्य का संदर्भ देते हुए पत्तों के अर्जन का मास
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

निवर्तन

कालम (2) तथा (3) का योग (मानक बोरों में)	गत तथा इस विवरणी के बीच उपयोग या निवर्तित की गई मात्रा (मानक बोरों में)	निवर्तन की रीति क्या उस परिमाण का उपयोग किया गया था अनुपयोगी होने से नष्ट कर दिया गया	विवरण की प्रस्तुति के दिनांक शेष स्टाक (मानक बोरों में)	रिमार्क
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(1)
(2)
(3)
(4)

प्ररूप 'ट'

(FORM-K)

[नियम 8 (5) देखिये]

निर्माता/निर्यातक द्वारा घोषणा

मैं/हम ..... घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम बीड़ियों का वास्तविक निर्माता तथा / या तेन्दू पत्तों का वास्तविक निर्यातक हूँ/ हैं और ..... राज्य के ..... जिले में कारबार कर रहा हूँ मेरे कारबार के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–

(1) व्यक्ति या फर्म या कम्पनी ..... का नाम जिसके नाम से कारबार ..... किया जाता है।

(2) फर्म या कम्पनी का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.....

(3) कारबार के केन्द्रों के नाम, जहाँ कारबार या गोदाम हो–

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) घोषणा प्रस्तुत करते समय प्रत्येक गोदाम में मानक बोरों में तेन्दू पत्ता का वर्तमान स्टाक-

संग्रह केन्द्र गोदाम का नाम परिमाण (मानक बोरों में)

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(5) बीड़ी/बीड़ियों का/के व्यापार चिन्ह ..... (यदि कोई हो)

(6) पूर्व के दो वर्षों में प्रतिवर्ष निर्मित बीड़ियों का परिमाण तथा उपयोग में लाये तेन्दू पत्तों का परिमाण–

अनुक्रमांक	वर्ष	निर्मित बीड़ियों की संख्या	उपयोग में लाये तेन्दू पत्तों का परिमाण मानक बोरों में
(1)	(2)	(3)	(4)

(7) आगामी वर्ष में बीड़ियों का अनुमानित निर्णाण और उसके तेन्दू पत्तों की प्राक्कलित आवश्यकता–

(क) प्राक्कलित निर्माण संख्या में.....

(ख) तेन्दू पत्तों की प्राक्कलित मात्रा (मानक बोरों में).....

(8) पूर्व के दो वर्षों में प्रति वर्ष निर्यात किये गये तेन्दू पत्तों का परिमाण।

वर्ष	निर्यात का स्थान	किसको निर्यात किया गया या बेचा गया	परिमाण मानक बोरों में
(1)	(2)	(3)	(4)
(1).....(1) (2) (3) (2).....(1) .....(2)			

(9) आगामी वर्ष..... के दौरान प्राक्कलित निर्यात की मात्रा..... (मानक बोरों में)

मैं यह और घोषित करता हूँ कि मैंने मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध पढ़ लिये हैं तथा समझ लिये हैं।

ऊपर दिये समस्त ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार ठीक हैं और उसके प्रमाण में साक्ष्य पेश कर सकूँगा।

स्थान..... निर्माता/निर्यातक के

घोषणा प्रस्तुत करने का दिनांक ..... हस्ताक्षर

दिनांक ..... को पदाधिकारी..... को

स्थान..... पर दो प्रतियों में प्रस्तुत की गई।

निर्माता/निर्यातक के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता भोपाल म. प्र. को अग्रेषित।

निर्माता/निर्यातक के हस्ताक्षर

प्ररूप 'ठ'

(FORM-L)

[नियम (9) देखिये]

विक्रय का प्रमाण-पत्र

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

(1) क्रेता का नाम .....

(2) विक्रयगार तथा इकाई का नाम .....

(3) विक्रित, परिदत्त, परिमाण (मानक बोरों में) .....

(4) विक्रय परिदान का दिनांक .....

स्थान .....

दिनांक .....

शासकीय पदाधिकारी
अभिकर्ता या प्राधिकृत
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर